फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

केस संख्या 110/2012

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/12/22	पत्रावली पेश। इसी। वकील श्याम पक्ष उपस्थित। वादी [illegible] अनुपस्थित होकर वाद मिस की डिक्री करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर मौजूदा [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अस्वीकार वाद पत्र की डिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः वाद पत्र डिक्री किया जाकर पत्रावली कोर्ट रजिस्टर होकर नियमानुसार की जावे। वाद प्रति होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़